



HAMIRPUR POLICE



लूट की घटना में सम्मिलित अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व लूट का माल बरामद

थाना जलालपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 165 / 20 धारा 394, 411, 120 बी आईपीसी से संबंधित अभियुक्त शिवेंद्र साहू उर्फ बंटी पुत्र राम सुंदर निवासी ग्राम बबीना थाना कदौरा जनपद जालौन को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश हमीरपुर से पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर आज दिनांक 13 .01. 2021 को ग्राम जलालपुर के पास राठ रोड पर वन विभाग की जमीन में एक पॉलिथीन में एक अदद तमंचा 12 बोर एक अदद कारतूस 12 बोर तथा नगद ₹25500 झाड़ियों में छुपा कर रखा था ,बरामद कराया है मुकदमा उपरोक्त में विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा अवैध तमंचा कारतूस के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है, लूट की घटना 3 अक्टूबर 2020 की है जिसमें अभियुक्त के हिस्से में कुल ₹95000 मिले थे। जिसमें से 25500 बरामद कराया है शेष रुपया खर्च करने की बात बताई है बरामद तमंचा अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयोग किया गया था।

